अति महत्वपूर्ण

सं0 ई. 11011/27/2021-हिन्दी/185
भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल, सेवा भवन,
आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066
दिनांकः 29 अप्रैल , 2025

(परिपत्र)

विषयः केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक तथा हिंदी कार्यशाला के नियमित आयोजन के संबंध में (कार्यवृत की मद सं.1)।

महोदय,

अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 28 मार्च, 2025 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 159वीं बैठक में, अध्यक्ष महोदय ने आयोग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक तथा हिंदी कार्यशाला का नियमित रूप से आयोजन किए जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए सभी कार्यालयों की सराहना की है तथा निदेश दिया है कि आगे भी सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्य अभियंता यह सुनिश्चित करें कि उनके कार्यालयों तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों में प्रत्येक तिमाही में नियमित अंतराल पर **राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक तथा हिंदी कार्यशाला** का निश्चित रूप से आयोजन किया जाए ।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार सभी कार्यालयों द्वारा प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक तथा हिंदी कार्यशाला का आयोजन करना अनिवार्य है। राजभाषा अनुपालन के क्षेत्र में हिंदी कार्यशाला के महत्व को देखते हुए हिंदी कार्याशाला आयोजन के संबंध में व्यापक स्तर पर सूचना प्रसारित की जाए ताकि अधिक से अधिक अधिकारी और कर्मचारी संबंधित विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकें।

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त मद पर आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा की गई कार्रवाई से हिंदी अनुभाग को अवगत करवाया जाए।

भवदीय,

आनंद

(आनंद चंद्र मल्लिक)
निदेशक (स्थापना-3) एवं राजभाषा प्रभारी
दूरभाष-011-29583459 / ईमेल-acmallick@nic.in

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
केंद्रीय जल आयोग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय (वेबसाइट के माध्यम से)।